कुशल युवा कार्यक्रम के तहत डीआरसीसी में निबंधन के उपरांत प्रशिक्षण हेतु नामांकन नहीं कराने वाले युवाओं के लिए आवश्यक सूचना

बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा सात निश्चय योजना के अंतर्गत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के तहत डीआरसीसी में निबंधन कराने के उपरांत अब तक प्रशिक्षण नहीं लेने वाले राज्य के सभी युवाओं के लिए निम्नलिखित निदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है:

1 कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 तक डीआरसीसी में निबंधित हुए योग्य अभ्यर्थी, जिनका कुशल युवा केंद्रों पर प्रशिक्षण हेतु नामांकन नहीं हो पाया है, उनको माह अक्टूबर 2024 बैच तक नामांकन कराने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि कोई अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2024 तक नामांकन नहीं करवाते हैं तो उनको केवाईपी प्रशिक्षण हेतु अमान्य कर दिया जाएगा।

2. कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में निबंधित हुए योग्य अभ्यर्थी, जिन्होंने कुशल युवा केंद्रों पर प्रशिक्षण हेतु नामांकन नहीं करवाया है, ऐसे अभ्यर्थियों को दिसंबर 2024 तक के बैच में नामांकन का समय दिया जाता है। दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक यदि ऐसे अभ्यर्थी नामांकन नहीं करवाते हैं तो उनको केवाईपी प्रशिक्षण हेतु अमान्य कर दिया जाएगा।

3. सभी अभ्यर्थियों की सूची बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर उपलब्ध है ।

सभी केवाईपी प्रशिक्षण केन्द्रों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने केन्द्र के सूचना पट्ट पर इस आदेश की एक प्रति लगाना सुनिश्चित करेंगे एवं उपरोक्त वर्णित कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित अभ्यर्थियों को अपने केन्द्र में हो रहे नामांकन प्रक्रिया में प्राथमिकता देंगे।

उपरोक्त आदेश पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है।

27/8/24

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन